न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस

अपील संख्याः 25 / 14 **निर्णय दिनांकः** 19-01-2023
(जीसीएमएस संख्या 2014 / 00329)

1. मुमताज बेवा हसनशाह
2. जफर मोहम्मद शाह
3. जहीर मोहम्मद शाह
4. जुबेर मोहम्मद शाह
5. सफीना शाह

पिसरान स्व. हसनशाह जाति मुसलमान निवासीगण गावं जलालसर तहसील व जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 15—05—2013
उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

उपस्थितः—

1. श्री करण सिंह तंवर, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के आदेश दिनांक 15—05—2013 जिसके द्वारा अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा आदेश दिनांक 20–06–2011 के माध्यम से अपील संख्या 39/11 को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया था कि अपीलांट्स के पति/पिता हसनशाह के दोहरे आवंटन की जॉच कर उसके बालिग पुत्रों के आवंटन की पात्रता की जॉच कर अगर अपीलांट्स का हक बनता हो तो अन्यत्र भूमि आवंटित की जावे। अदालत मातहत द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा पारित रिमाण्ड आदेशों की अनुसरण में आगामी दो वर्ष तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं किये जाने की स्थिति में अपीलांट्स द्वारा अदालत मातहत के समक्ष अपने कब्जे काश्त की भूमि चक 3 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 127/10 के किला नम्बर 1 ता 5 व मुरब्बा नम्बर127/17 के किला नम्बर 1 ता 4, 7 ता 14 व 17 ता 24 की कुल 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि के आवंटन का निवेदन किया तथा आवंटन की प्रक्रिया में समय लगने व इस दरमियान तहसीलदार, बीकानेर द्वारा मौके से बेदखल करने की आशंका के कारण अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अपीलांट्स का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है।

उन्होनें आगे कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय का मुख्य आधार यह लिया गया अपीलांट्स ने अपने कब्जे काश्त का कोई सबूत पेश नहीं किया गया है, जबकि अपीलांट्स द्वारा अदालत मातहत के समक्ष अपने कब्जे काश्त के संबंध में तमाम सबूत प्रस्तुत यथा खसरा गिरदावरी संवत् 2069–2070 व नाजायज काश्त का नोटिस किये गये थे। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा रिकार्ड का अवलोकन किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया जाना परिलक्षित होता है। वादग्रस्त भूमि जोकि अपीलांट्स के कब्जे काश्त की भूमि रही है को जबरन खाली करवाने की स्थिति में अपीलांट्स द्वारा अदालत मातहत के समक्ष धारा 212 आरटीए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील के माध्यम से अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। जबकि प्रकरण में यह निर्विवाद कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट्स के धारण व कब्जे काश्त की भूमि है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपूरणीय क्षति अपीलांट्स के पक्ष में साबित है। वादग्रस्त भूमि के बाबत् आवंटन संबंधी कार्यवाही अदालत मातहत द्वारा किया जाना शेष है ऐसी स्थिति में दौराने कार्यवाही यदि अपीलांट्स को उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल किया जाता है या वादग्रस्त भूमि के बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रकरण में अनावश्यक पेचिदगियाँ तथा मुकदमें की आवृति बढ़ेंगी। उक्त तमाम तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होते हुए भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इनग्रिडियेन्टस प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति आदि की कोई विवेचना अपने आदेश में नहीं की गई है। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण में विधि के सिद्वान्तों की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई है। लिहाजा अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट्स जिस भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग कर रहे है उक्त भूमि अपीलांट्स के धारण व कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर अपीलांट्स की हैसियत एक अतिक्रमी की है। ऐसीस्थिति में अपीलांट्स अपने कब्जे काश्त की भूमि जिस पर वह बतौर अतिक्रमी काबिज है, पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। जिसकी कानून कतई अनुमति प्रदान नहीं करता है। अदालत मातहत द्वारा इसी आधार पर अपीलांट्स का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विधि सम्मत तरीके से खारिज किया गया है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों महत्वपूर्ण इन्ग्रिडेन्ट्स प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर अपना विवेचन करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

होता हो कि विवादित भूमि पर अपीलांट्स का किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त साबित होता हो। अपीलांट द्वारा मिथ्या कथनों पर अदालत मातहत के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसे खारिज करने में अदालत मातहत द्वारा किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि कारित नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत के आदेश जैर अपील में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा अदालत मातहत के समक्ष धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया था कि न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 20–06–2011 को अपीलांट्स की अपील को इस आधार पर रिमाण्ड किया गया था कि अपीलांट्स के पति/पिता हसन शाह के दोहरे आवंटन की जॉच कर उसके बालिग पुत्रों के आवंटन की पात्रता की जॉच कर अगर अपीलांट्स का हक बनता हो तो अन्यत्र भूमि आवंटित की जावे। जिस पर अपीलांट्स द्वारा अपने कब्जे काश्त की भूमि चक 3 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 127/10 के किला नम्बर 1 ता 5 व मुरब्बा नम्बर127/17 के किला नम्बर 1 ता 4, 7 ता 14 व 17 ता 24 की कुल 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि के आवंटन का निवेदन किया तथा आवंटन की प्रक्रिया में समय लगने व इस दरमियान तहसीलदार, बीकानेर द्वारा मौके से बेदखल करने की आशंका के कारण अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

इस संबंध में हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, अपीलाधीन आदेश व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश की पालना में अन्यत्र भूमि आवंटन की मांग के साथ–साथ अपने कब्जे काश्त की भूमि चक चक 3 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 127/10 के

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

किला नम्बर 1 ता 5 व मुरब्बा नम्बर 127/17 के किला नम्बर 1 ता 4, 7 ता 14 व 17 ता 24 की कुल 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि के आवंटन की मांग किये जाने व उक्त भूमि के बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की गई है। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांट्स द्वारा जिस भूमि पर अर्थात अपने कब्जे काश्त की भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की गई है, उक्त भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज रिकार्ड है। जिस पर अपीलांट्स स्वयं द्वारा अपने अपील के माध्यम से कथन किया गया है कि उक्त भूमि पर अपीलांट्स को नाजायज काश्त का नोटिस जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट्स की हैसियत एक अतिक्रमी की रही है। अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् जमाबन्दी संवत् 2066—69 जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज रिकार्ड है, को आधार बनाते हुए अपीलांट्स का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। प्रकरण में जहॉ तक न्यायालय हाजा के आदेशों के अनुसरण में आवंटन का प्रश्न है, इस संबंध में न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में प्रकरण रिमाण्ड किया जा चुका है, जिस पर अदालत मातहत द्वारा तहसीलदार बीकानेर से रिपोर्ट प्राप्त करते हुए कार्यवाही किया जाना शेष है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स वादग्रस्त भूमि पर बतौर अतिक्रमी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। लिहाजा अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप अपील के माध्यम से किया जाना उचित नहीं पाते है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 15—03—2013 यथावत बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 19-01-2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

19-01-23

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते